

पन्नाबली पर उक्त राजस्व रैकोर्ड व पैशशुदा राजीनामा का अवलोकन किया।  
 जिसके अवलोकन से एवं लोक अदालत  
 की भावना से वादीगण का वाद स्वीकार  
 किया जाने योग्य पाया जाने पर स्वीकार  
 किया जाता है तथा घोषणा इस आशय की  
 जारी की जाती है कि:-



उद्देश



तन ग्राम नीमेटा तहसील खण्डेला जिला सीकर  
 अवस्थित कृषि भूमि ख. नं. 1365 से 1367 एका  
 5.55 हे. में वादीगण को 333/1660 हिस्सा कराव  
 तथा कृषि भूमि ख. नं. 1368 लगभग 1376  
 एका 6.68 हे. में 29/660 हिस्सा कराव को  
 वादीगण को छातेदार कारतकार घोषित किया  
 जाता है तथा उक्त हिस्सा से उतिवादी नं. 1  
 व 2 का नाम हजफ किया जाता है।

तन ग्राम शिवपुरा तहसील खण्डेला जिला  
 सीकर राज. अवस्थित कृषि भूमि ख. नं. 92 ता  
 97 एका 5.02 हे. में उतिवादी नं. 1 को  
 58/1005 हिस्सा का तथा उतिवादी नं. 2  
 को 14/67 हिस्सा का छातेदार कारतकार घोषित  
 किया जाकर उक्त हिस्सों से वादीगण का नाम  
 हजफ किया जाता है। उक्तनुसार संबंधित पदकों  
 के हक हिस्से आमी भूमियों पर बैंक रहन दुस्त  
 किया जाकर राजस्व रैकोर्ड में उमल दामद  
 हो। तदनुसार पन्चा डिकी जारी हो।  
 पन्नाबली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

कम हो तथा बाद तन्मूल दायित्व इफ्तार हो।  
निर्णय मजमें आम सुनाया गया।

19/6/2  
भागीरथ शाय  
(RAS)  
सहायक कलक्टर  
(कास्ट ट्रेक) खण्डेला

गूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक), खण्डेला, (सीकर)

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

आज अदालत ... सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक मुकाम ... खण्डेला

पीठासीन अधिकारी:- श्री भागीरथ शास्त्री, RAS

उनवान

① शम्भूदयाल \* बनाम ② गोमाराम \*

दावा बाबत ... चौखाना व त्वारी निसेधाता

मुकदमा नम्बर :- 92/2017

निर्णय दिनांक :- 19/06/18

यह मुकदमा आज वास्तो इनफिसाल कतई रुबरु श्री भागीरथ शास्त्री, RAS व हाजिरी

मिनजानिब मुददाई रुबरु श्री रामेश्वर तैलपत

मिनजानिब मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -  
तन ग्राम लीमंडा तहसील खण्डेला जिला सीकर अवस्थित कृषि भूमि ख.नं. 1365  
ता. 1367 रकबा 5.55 हे. में वादीगण को 333/1660 हिस्सा कराबर तथा कृषि  
भूमि ख.नं. 1368 लगाबर 1376 रकबा 6.68 हे. में 29/610 हिस्सा कराबर का  
वादीगण को खातेदार कारतलार चोषित किया जाकर उक्त हिस्सा से प्रतिवादी  
त. 1 व 2 का नाम हनक किया जाता है।

तन ग्राम शिवपुरा तहसील खण्डेला जिला सीकर अवस्थित कृषि भूमि  
ख.नं. 92 ता. 92 \*

खर्चा पक्षकारान्त अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज दिनांक 19/06/18 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



(भागीरथ शास्त्री)  
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)  
खण्डेला (सीकर)  
(फास्ट ट्रैक) खण्डेला

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4 ..... रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील	
6 कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7 आदेशिका की तामील			
जोड़		जोड़	

\* ② जैसा राम पुत्रागण सुखाराम जाति जाट तन ग्राम  
नीमडा तहसील खण्डेला जिला सीकर (राज.)  
— वादीगण

विषय

- \* पुत्र सुखाराम ② रामगोपाल पुत्र शिवपालराम  
जाति जाट निवासी तन ग्राम शिवपुरा तहसील  
खण्डेला जिला सीकर (राज.)
- ③ भूमिधारी तहसीलदार खण्डेला जिला सीकर (राज.)
- ④ मैनेजर एल.बी.आई. बैंक शाखा श्रीमधोपुर।
- ⑤ मैनेजर एल.बी.बी.जे. (एल.बी.आई.) बैंक शाखा श्रीमधोपुर।
- प्रतिवादीगण



\* एनम्बर 5.02 हे. में प्रतिवादी नं. 1 को 58/1005 हिस्सा का तथा  
प्रतिवादी नं. 2 को 14/67 हिस्सा का बतौर कारतकार घोषित  
किया जाकर उक्त हिस्सों से वादीगण का नाम हजफ किया जा  
है। उक्तानुसार संबंधित पदनों के हक हिस्से जायी प्रसिमें  
पर बैंक रहन दुरुस्त किया जाकर राजस्व रैकॉर्ड में असल  
दरामद हो।

19/6/18  
जागीरख शाख  
(RAS)  
सहायक कलक्टर  
(फास्ट ट्रेक) खण्डेला